राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

क्रमांक:प.1(7)गृह–7/2020 जयपुर, दिनांक: - 4 MAR 2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम–1976 के नियम 23(9) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसानुसार वर्ष 2020–21 की उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित कम्पनी कमाण्डरों को वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर उप समादेष्टा के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है :–

क.सं.	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	पदोन्नति तिथि
1.	श्री रामजी लाल	सामान्य	01.04.2020
2.	श्री वीरेन्द्र सिंह	सामान्य	01.04.2020
3.	श्री रविन्द्र सिंह चौहान	सामान्य	01.04.2020
4.	श्री घनश्याम सिंह	सामान्य	01.07.2020
5.	श्री अरूण सिंह	सामान्य	01.08.2020
6.	श्रीमती सीमा पारीक	सामान्य	01.09.2020
7.	श्री राजेश यादव	सामान्य	01.12.2020
8.	श्री आनन्द कुमार	अनु0 जनजाति	01.04.2020

पदोन्नत अधिकारी अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करेंगें। इन्हें पदोन्नत पद पर वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।

आज्ञा से,

(सीमा कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (आपदा प्रबंधन)

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. शासन सचिव, गृह विभाग।
5. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र कमांक एफ 5(372) डीपीसी/2020–21/611 दिनांक 24.02.2021 के क्रम में।
7. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, गृह (आपदा प्रबंधन) विभाग।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

5/3

Scanned with CamScanner